बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या– वि॰प्रा॰(I)स्था॰–01/2014 – 93 पटना, दिनांक : 13-1-2015

''बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली–2014'' एवं ''बिहार पोलिटेकनिक शिक्षा सेवा नियमावली– 2014'' में निहित प्रावधान के आलोक में कैरियर संवर्धन योजना का लाभ शिक्षकों को प्रदान करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है–

(1)	निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	–	अध्यक्ष
(2)	अपर सचिव/ उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना	–	सदस्य
(3)	विभाग द्वारा नामित दो विषय विशेषज्ञ	–	सदस्य
(4)	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि	–	सदस्य
(5)	अभियंत्रण महाविद्यालय/ पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य	–	सदस्य
(6)	विभाग द्वारा नामित प्राध्यापक	–	सदस्य

2. यह समिति राज्य सरकार के नियमों तथा ''अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए कैरियर उन्नति योजना) विनियम–2012'' में निहित प्रावधानों के आलोक में अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के शिक्षकों को कैरियर संवर्धन योजना का लाभ प्रदान करने के प्रस्तावों पर विचार करेगी तथा राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा समर्पित करेगी।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/- 12/01/15
अवर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक : वि॰प्रा॰(I)स्था॰–01/2014 93 पटना, दिनांक : 13-1-2015

प्रतिलिपि : माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्राचार्य, सभी अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद्, बिहार, पटना एवं सभी विभागीय पदाधिकारी, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। विभागीय आई० टी० मैनेजर को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/- 12/01/15
अवर सचिव
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना